सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, राष्ट्रीय महिला कोष आयोत्पादन गतिविधियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से निर्धन महिलाओं को ऋण प्रदान कर रहा है।

(घ) राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा गैर-सरकारी संगठनों की पात्रता हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गए हैः

1. संगठन ऋण के लिए आवेदन करने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष पूर्व पंजीकृत हुआ हो।

2. संगठन को बचत और ऋण क्रियाकलापों का पर्याप्त अनुभव हो।

3. ऋण वसूली की स्थिति अच्छी हो।

4. संगठन के लेखाओं और तुलन-पत्र की पिछले तीन वर्ष तक लेखा-परीक्षा की गयी हो तथा लेखा-परीक्षक ने कोई विपरीत टिप्पणी न की हो।

(ङ) जी, हां। इस प्रयोजनार्थ, संगठन लागू नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

Need to Regulate Private Educational Institutions

2958. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the UGC has drafted new regulations for admissions fee structure for self-financing courses in private non-aided professional institutions;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether private institutions in the country are charging high monthly fees and admission charges; and

(d) to what extent the new regulations of the UGC are going to clip the activities of private institutions?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under consideration of the Government.

(c) and (d) The Supreme Court has laid down a scheme for determining the fees to be charged by these institutions. UGC Regulations would be in conformity with the Supreme Court's directive in this regard.

त्रिपुरा में पूर्ण साक्षरता मिशन परियोजनाएं

2959. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) ऐसी पूर्ण साक्षरता मिशन परियोजनाओं की जिला-वार संख्या कितनी है जिन्हें राष्ट्रीय साक्षरता अभियान द्वारा त्रिपुरा के गैर-सरकारी संगठनों के लिये मंजूर किया गया है;

(ख) क्या गैर-सरकारी संगठनों के निष्पादन की समीक्षा की गई है;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों के असंतोषजनक निष्पादन के लिये कोई कार्यवाही शुरू की गई है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा त्रिपुरा राज्य में किसी गैर-सरकारी संगठन को संपूर्ण साक्षरता अभियान की कोई परियोजना अनुमोदित नहीं की गई है। तथापि, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने त्रिपुरा राज्य में पौढ़ शिक्षा, राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना करने के लिए भारत ज्ञान विज्ञान समिति, त्रिपुरा शाखा, त्रिपुरा के एक गैर-सरकारी संगठन को एक परियोजना का अनुमोदन किया है। वर्ष 1996-97 के दौरान, 9.47 लाख रु० की धनराशि अनुमोदित की गई है जिसमें 4.73 लाख रु० की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में प्रदान कर दी गई थी। राज्य संसाधन केन्द्र का मौलिक कार्य इस राज्य में साक्षरता कार्यक्रमों के लिए तकनीकी तथा शैक्षिक सहायता की सुविधा उपलब्ध कराना है।

(ख) से (ङ) चूंकि संपूर्ण साक्षरता अभियान की कोई परियोजना अनुमोदित नहीं की गई है अतः इस संबंध में ये प्रश्न ही नहीं उठते हैं।